"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी 2026 — फाल्गुन 5, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2026

आदेश

क्रमांक एफ 1–1/2026/रास/निजी/यू.–20.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (3) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाध्यक्ष, कृष्णा विकास गलोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर द्वारा प्रो (डॉ.) नारासिमहुलु यक्काला, प्रोफेसर–निदेशक (सेवानिवृत्त) यूजीसी, मानव संसाधन विकास केन्द्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृष्णा विकास गलोबल विश्वविद्यालय, रायपुर का प्रथम कुलपति 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है।

2. प्रो (डॉ.) नारासिमहुलु यक्काला का कार्यकाल, उपलब्धियॉ तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।

हस्ता./–

(सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.